GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.292
TO BE ANSWERED ON THE 23RD MARCH, 2021
SPECIAL AUDIT COMMITTEE REPORT ON FINANCIAL IRREGULARITIES AT SIC

292 SHRI RAM NATH THAKUR:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

(a) when the report of Special Audit Committee regarding financial irregularities at Sports Injury Centre (SIC), Safdarjung Hospital, Delhi was submitted;

(b) the findings and recommendations of the Committee;

(c) the comments of Government on the Special Audit Committee Report;

(d) the actions taken till date based on the findings;

(e) whether the Central Vigilance Commission (CVC) is required to be consulted;

(f) the current status and whether Government contemplates to take action in this matter of public interest; and

(g) whether the Audit Committee Report has been pending for more than 2 years without any substantive action and, if so, the reasons therefor?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR. HARSH VARDHAN)

(a) to (g) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 292* FOR 23RD MARCH, 2021

(a) & (b) The Special Audit Committee constituted to look into various irregularities involved in the procurement of equipment in Sports Injury Centre (SIC) Safdarjung Hospital, submitted its report to the Ministry on 30th November, 2018.

The major recommendations of the Committee *inter-alia* include the following:-

i. Considering large scale irregularities and violation of General Financial Rules (GFRs) /Central Vigilance Commission (CVC) instructions, the Government may consider detailed investigation in the matter.
ii. Annual requirement of Orthopaedic implants be objectively assessed and attempts should be made to discover the lowest rates, by leveraging benefits of economy of scales.
iii. Procurement of equipment, devices and services may be rationalized keeping in view the usefulness and usability of the same.
iv. The Indenting Officer (HOD) may be made personally accountable for submitting false indent.
v. Usage of high value equipment and devices may be audited annually.
vi. Appropriate systems and procedures may be put in place for enhanced rationalization, objectivity, transparency and economy in procurement of equipments, devices and consumables.
vii. The officers associated with indent and procurement processes may be exposed to latest relevant GFRs and instructions issued by Government, CVC, Competition Commission of India (CCI), etc. through appropriate training modules.

(c) to (g) The detailed examination of the various recommendations of the Special Audit Committee were carried out at various levels *i.e.* Safdarjung Hospital, SIC, Directorate General of Health Service (Dte.GHS) and the Ministry. As advised by the Special Audit Committee, detailed investigation has been carried out through various Committees in the matter. As regard fixing up of responsibilities, action is being taken as per Vigilance Manual.

As regards systemic improvement, procurement of items through GeM and adherence to GFR is being strictly emphasised by the Ministry. Committees are in place for evaluation of technical and financial bids received through tenders to identify the lowest bidder. Further, internal Audit Team has also carried out audit of the central Government Hospitals.

In-house training sessions have been organised by Dte.GHS and Finance Division of the Ministry to create awareness on Delegation of Financial Power Rules (DFPR) and GFR from time to time. Systemic improvements are continuous process and are being proactively encouraged.

*****

□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□
तारांकित प्रश्न □ख□□: 292*
23 □□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□प्रश्न □□ उत्त□

सपोट इन्जुरी सेन्टर म वित्तीय अनियमितताओं के संबंध म विशेष लेखा परीक्षा समिति □□ प्र□□□□

*292 □□ □□□ □□□ □□□□

क□□ स□□स्थ□ □□ □रिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) स्पोट इन्जुरी सेन्टर (एस.आई.सी.), □□□□□□ □स□□□□, दिल्ली म वित्तीय अनियमितताओं के □□□ □ विशेष लेखा परीक्षा समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत □□□□ □□□ □□;

(ख) उक्त समिति के निष्कष और सिफारिश क्या-क□□ □ं;

(ग) विशेष लेखा परीक्षा समिति प्रतिवेदन पर सरकार को क्या टिप्पणियां ह;

(घ) इन निष्कषों के आधार पर अब तक क्या कारवाई को गई है;

(□) क्या इस संबंध मे केन्द्रीय सतकता आयोग (सी.वी.सी.) से परामश किए जाने को आवश्यकता है;

(च) इसको वतमान स्थिति क्या है और क्या सरकार लोक हित के इस मामले म कारवाई करने का □□□□□ □□□□ □;□□ □

(□) क□□ □□□-परीक्षा समिति प्रतिवेदन बिना किसी व्यापक कारवाई के दो वष से भी अधिक समय से □□□□ □□□ हु□ □□□□ □ □□ □□;□□ □□□□क□□ □□□□ □?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री (□□. □□ □□□)

(□) □□(□): □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□

***

f□□□□ 23.03.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न □ख□□ 292* □□□t□□ □ □□ले□□□□ □□□□□

(□) □□ (□): स्पोर्ट्स इंजरी सटर (एसआईसी) सफदरजंग अस्पताल म उपकरणों □ी खरीद म हुई विभिन्न अनियमितताओं को जाँच करने हेतु गठित विशेष लेखा- □□□क्षा □□□□□ □□f□□□□ 30 □□न□□, 2018 □□ □त्रा□□ □□ □□□□ f□□□□ प्रस्□□ □□ □□ □□□

समिति को प्रमुख सिफारिशों म अन्य बातों □□□□□-साथ निम्नलिखित शामिल ह-

i. अनियमितताओं और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के बड़े पैमाने पर उल्लंघन □□ □न्द्री□ □□□:□□ आयोग (सीवीसी) के निदेशों पर विचार करते हुए, सरकार मामले म विस्तृत अन्वेषण पर □□□□□ □□ □□□□ □□

ii. ओर्थापिडिक प्रत्यारोपण □□□□□ों को वार्षिक आवश्यकता का निष्पक्षता से मूल्यांकन किया जाए तथा □□□ □□□□□ □ किफायत के लाभ उठाते हुए, न्यूनतम □□ प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

iii. उपकरणों, साधनों और सेवाओं को उपयोगिता और प्रयोज्यता को ध्यान म रखते हुए युक्तिसंगत खरीद □ी □□□□

iv. इंडटिंग अधिकारी (विभागाध्यक्ष) □□ गलत इंडट प्रस्तुत करने के लिए वैयक्तिक रूप से जवाबदेह □□□□□ □□□□

v. अधिक मूल्य वाले उपकरणों और साधनों को प्रयोज्यता को वार्षिक रूप से लेखा-परीक्षा को जाए।

vi. उपकरणों, साधनों और उपभोग्य वस्तुओं को खरीद म संवर्धित युक्तिसंगतता, उद्देश्यपरकता, □□□□f□□□ □□ f□□□□□ □□□□□□क्त प्र□□□□□□□□ □ द्ध□□□□□□□□ □□□□□□

vii. इंडट और खरीद प्रक्रियाओं से संबद्ध अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूलों के माध्यम से सरकार, सीवीसी, भारतीय प्रतिस्पधा आयोग (सीसीआई), इत्यादि द्वारा जारी निदेशों □□ □द्य□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

(□) □□(□): □□□□ □□□-परीक्षा समिति को विभिन्न संस्तुतियों का विस्तृत परीक्षण विभिन्न स्तरों अथात् सफदरजंग अस्पताल, एसआईसी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और मंत्रालय द्वारा किया गया□ □□□□ □□□-□□□क्षा समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, विभिन्न समितियों के माध्यम से मामले म विस्तृत छान-□□□ □ी गई है। जहाँ तक जवाबदेही निर्धारित करने का संबंध है, सतकता नियमवाली के अनुसार कारवाई को जा रही □□

□□□□□ व्य□स्□□ □□□□ □□ □□□ □,□त्रा□□ द्व□□ □□□□□ □□□□ध□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ अनुपालन पर सख्ती से जोर दिया जा रहा है। न्यूनतम दर बोलीकता को पहचान करने हेतु निविदाओं के माध्यम से प्राप्त बोलियों के तकनीको और वित्तीय मूल्यांकन हेतु समितियाँ गठित को गई ह। इसके अलावा, □ □f□□ □□□-परीक्षा दल ने केन्द्र □□□□□ □□□स□□□□ों □ी □□ □□□-परीक्षा को है।

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) और जीएफआर पर जागरुकता सृजित करने हेतु मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और वित्त प्रभाग द्वारा समय-□□□ □□ □□□□□□□ (□□-□□□□) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए ह। व्य□स्□□ □□□□ □□□ प्रक्रि□ □□□□ □न□ सक्रिय रूप से प्रोत्साहित f□□□ □□ □□□ □□

श्री राम नाथ ठाकुर : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जाँच केआलोक में क्या सरकार इसकेलिए सशक्त आंतरिक व्यवस्था बनाएगी, ताकि इस तरह की गम्भीर अनियमितताएँ दोबारा न हों?

डा. हर्ष वर्धन : सर, अगर माननीय सदस्य ने हमारा उत्तर पढ़ा होगा, तो इसमें हमने specifically बहुत detail में बताया है कि अनियमितताओं केबारे में जानकारी मिलने केबाद किस प्रकार से सरकार ने और DGHS ने Special Audit Committee बनाई और उसकी detailed recommendations को आगे follow करने के लिए इस विषय को Health Ministry के Vigilance Department ने examine किया। इसके साथ उसको CBI अलग से examine कर रही है। इसके साथ ही हमने उस विषय के लिए responsibilities भी, generalized करने की बजाय specific, fix करने के लिए अस्पताल के Vigilance Officer को भी यह विषय आगे pursue करने केलिए दिया हुआ है।The issue is being deliberated for future improvements also and for actually finding the right, exact culprit and to fix the responsibility of the individual persons. So, it is being handled at multiple levels.

श्री राम नाथ ठाकुर : उपसभापति महोदय, मैं आपकेमाध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में तय सीमा केअन्दर कार्यवाही कर सदन को सूचना देगी?

डा. हर्ष वर्धन : महोदय, सरकार जो भी कर रही है, वह इस पर कार्रवाई करने केलिए ही कर रही है, लेकिन किसी particular person केऊपर कार्रवाई करने केलिए या responsibility fix करने केलिए vigilance की guidelines, manuals जैसी चीज़ों को एक्सपर्ट लोग ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। सरकार को जिस दिन exact outcome मिलेगा, तो निश्चित रूप से वह कार्रवाई करेगी।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 293.